

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश अधिनियम।**

संख्या- प्राथम/परिषद/सम्पन्नता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय आप:-

अखिल भारतीय तहसीली शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पार्षदी कार्यालय और इन्फोटा, नई दिल्ली द्वारा संश्लेषित सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तहसीली शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अधिनियम से सम्बद्धता/सम्पन्नता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 12-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अधिनियम की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संश्लेषित संस्थाओं को सम्पन्नता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार किया हुआ सत्र 2020-21 हेतु सम्पन्नता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्रम-3 में डिप्लोमा इन फार्मली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्पन्न संस्थाओं को प्रकथन रखा गया। सम्पन्नता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नानु निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मली पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अधिनियम से पूर्व से सम्पन्न हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरी0आई0 द्वारा उन्हें सम्बद्धता अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार जगहों नाम के समुदाय अथवा पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्पन्नता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठरी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को गठित सम्पन्नता समिति की बैठक ने सिफे गये कार्यवाही निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रवेश हेतु सम्पन्नता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठरी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठरी0आई0/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2254	वसन्त नौ-अध्यय केंद्र, इन्फोटाई और पार्षदी, एनएच-32, इलाहाबाद रोड, नयापुर, कापुरा	डिप्लोमा इन फार्मली	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीठरी0आई0/पीठरी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेक्टर विनियमवली-2010 तथा अन्य विनियम विनियम एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्धारित संश्लेषित द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इन्फोटाई पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक पार्षदी पाठ्यक्रम हेतु रु०-25,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक साथ दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक पार्षदी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त में अतिरिक्त धन/चांसों से शुल्क के संकलन में राकम-कमल पर गारंटी द्वारा निर्गत किये जाने वाले गारंटरोंका प्रकथन होगा, और गारंटरोंका कार्यवाही किया

*(Handwritten signature)*



## कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

ब्रह्म प्रवेश, राजकोट।

संख्या - प्राविष/परिषद/सम्बद्धता/2022/28785

तारखनांक: दिनांक: 20/09/2022

### आर्थाचार्य भाष्य:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्मिकी कार्यालय ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, राजकोट से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, राजकोट से सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3064-DAYANAND DEENANATH COLLEGE INSTITUTE OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली-2000, रेगुलेशन विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर विरहित सामन्तदेखी का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन अर्धवर्ष इन्टी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो अर्धवर्ष कार्यक्रमों हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष को शॉर्ट पाठ्यक्रमों (दो अर्धवर्ष कार्यक्रमों) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सामन्त देना निर्णय किये जाने वाले सामन्तदेखी प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की गतिमान टॉटे लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा।

✓ फीस की गतिमान टॉटे लागू होगी।

